

Date: 02nd September, 2024

To,
National Stock Exchange of India Limited
Listing & Compliance Department
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai - 400051

To,
BSE Limited
Listing & Compliance Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001

Symbol: [BCONCEPTS]

Scrip Code: 543442

Subject: Submission of copy of Newspaper publication - Notices calling NCLT convened meetings of Equity Shareholders and Unsecured Creditors

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Please find attached the newspaper publication of the Notices calling NCLT convened meetings of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company with respect to the proposed Scheme of Compromise and/ or arrangement (“Scheme”) between IFF Overseas Private Limited (“Transferor Company”) and Brand Concepts Limited (“Transferee Company”) and their respective shareholders and creditors under Sections 230 to 232 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rule, 2016 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (“Act”) as published in “Free Press (English Edition) and Choutha Sansar (Hindi Edition)” on 01st September, 2024.

Kindly take the note of the same and acknowledge the receipt.

**Yours sincerely,
For Brand Concepts Limited**

Swati Digitally signed
by Swati Gupta
Date: 2024.09.02
Gupta 15:51:49 +05'30'

**Swati Gupta
Company Secretary & Compliance Officer
Mem No. A33016**

भाजपा सदस्यता अभियान से पहले पार्टी की अहम बैठक

मुख्यमंत्री ने नरेन्द्र मोदी को बताया सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री

कहा-कोई टेड़ा चले तो सीधा करना आता है, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा

भोपाल, (निप्र)। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार डेढ़ करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। जिसमें सीएम मोहन यादव से लेकर पार्टी के सभी सीनियर नेता जुटे नजर आ रहे हैं। सदस्यता अभियान के लिए आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉ.मोहन एवमन में नजर आए। उन्होंने एक तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो दूसरी तरफ पीएम मोदी को सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बताते हुए विषय पर तंज भी कसा। सीएम ने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में जुट जाए और सबको यह जरूर बताएं हैं कि देश में राम मंदिर हमने बनवाया है। जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाई है। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है, क्योंकि बीजेपी देश के लिए काम कर रही है।



मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमने बूथ जीता चुनाव जीता है, क्योंकि पीएम मोदी सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि वह हर कठिनाई को हल करना जानते हैं। जिस धारा-370 की वजह से लोगों को घर, मकान, दुकान छोड़ने पड़े, 40 हजार लोग मारे गए। उस धारा-370 को जम्मू-कश्मीर से पीएम मोदी ने उखाड़ फेंका। लेकिन कांग्रेस ने उससे हाथ मिलाया है जिसने कहा है कि हमारी सरकार आई तो धारा 370 लागू करेंगे। जो पहले कहते थे कि धारा-370 हटती तो खून की नदियां बह जाएंगी, वह देख ले धारा को हटाया गया, लेकिन एक चीटी भी नहीं मरी। पीएम मोदी देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। राशन, गैस, पक्का मकान इस सभी पर पीएम मोदी का फोकस है, क्योंकि वह देश में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्पष्टता के साथ काम

करते हैं, लेकिन कोई टेड़ा चले तो सीधा करना आता है। यह काम भी पीएम मोदी ने किया है।
राष्ट्रवादी होना ही बीजेपी की विचारधारा- मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रवादी होना ही बीजेपी की विचारधारा है। राष्ट्रवाद के लिए हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्री पद छोड़ा था। कांग्रेस ने ही धारा-370 लागू की थी, जिसे हटाने का प्रण हमारे नेता ने लिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल जाना मंजूर किया लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा से समझौता नहीं किया। क्योंकि बीजेपी जो कहती है वह करके दिखाती है। बीजेपी के लिए निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र की भावना में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। आज देश में 1500 राजनीतिक दल हैं। लेकिन भाजपा का सदस्यता अभियान सबसे पारदर्शी रहता है।
बीजेपी में सहजता से काम हस्तांतरित, कांग्रेस में शुरू हो जाती है हाथ रे-हाथ रे-

सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा हमारी पार्टी और विरोधी दल में यह अंतर है कि हमारे यहां तीन पीढ़ी आ गयी और उनके यहां 80 साल के नेता बने हैं। हमारे यहां का परिवार है। लेकिन कांग्रेस में तो अध्यक्ष की चर्चा शुरू होते ही हाथ रे, हाथ रे शुरू हो जाता है। इसलिए कांग्रेस ने जैसा किया है वैसा भरेगी। हम तो यह भी कहते हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया अब उन्हें भी सदस्य बनाना है। क्योंकि हमारे यहां जोड़ने की परंपरा है। बीजेपी मध्य प्रदेश में इस बार सदस्यता अभियान को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी ने विधायक, सांसदों और मंत्रियों को भी सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। ऐसे में सीएम मोहन यादव और वीड्री शर्मा खुद इस अभियान की कमान संभालते नजर आ रहे हैं।

प्रदेश के 12 जिलों में बारिश के आसार

भोपाल, (निप्र)। मध्य प्रदेश में अभी मौसम का मिजाज बारिश के साथ बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि हमने 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है। जिसमें सागर, दमोह छिंदवाड़ा, डिंडोरी समेत ऐसे 12 जिले हैं। जहां पर हेवी रेन होने की संभावना है। इसी के साथ उन्होंने कहा भोपाल में दिन में मौसम खुला रहेगा लेकिन शाम के वक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है

मानसून के सक्रिय होने से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी इलाकों में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि मौसम विभाग ने सितंबर महीने में प्रदेश में अच्छी

बारिश होने का अनुमान जताया है।
बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त- मध्य प्रदेश में लगातार अच्छी बारिश होने के कारण प्रदेश डैम और तालाब लगाव भरे हुए हैं। कई जिलों में कुछ इलाके जलमग्न हैं और लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सभी डैमों में 80 प्रतिशत तक पानी भर चुका है। जिस कारण डैम के गेट खोले गए हैं।

मप्र सरकार का बड़ा फैसला मंत्री की अनुमति के बगैर नहीं आएगा कैबिनेट में कोई प्रस्ताव

भोपाल, (निप्र)। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जिसे ब्यूरोक्रेसी पर लागू लागने के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद अब मोहन कैबिनेट के मंत्रियों को पास ज्यादा ताकत होगी। जिसका असर कैबिनेट की बैठक में होने वाले फैसलों में भी नजर आएगा। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि अब विभागीय मंत्री की अनुमति के बिना कोई भी फैसला कैबिनेट में नहीं रखा जाएगा। यानि जब तक मंत्री को किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं होगी या उनकी अनुमति नहीं मिलेगी तो विभाग के अधिकारी उस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में नहीं रख सकेंगे। सरकार का यह फैसला मंत्रियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बता दें पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में दो ऐसे मामले आए थे। जिसमें मंत्रियों की बिना अनुमति के ही प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया गया था। क्योंकि विभाग मंत्री की जानकारी के प्रस्ताव लाने की वजह से मंत्रियों की नाराजगी देखी जा रही थी। ऐसे में सरकार ने तुरंत यह फैसला लिया है। इसके अलावा अगर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होने

वाली पांच अपर मुख्य सचिवों की सीनियर सेक्रेटरी वाली कमेटी अपने एजेंडे में कोई भी बदलाव करती है तो उस बात की जानकारी विभाग के मंत्री को देनी होगी और उन्हें उसके बारे में बताना भी होगा। यह फैसला मोहन सरकार ने लागू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अधिकारी किसी भी प्रस्ताव को लेकर फिलहाल लापरवाही बरत रहे थे। वह मौखिक जानकारी विभाग के मंत्री को दे देते थे। लेकिन लिखित जानकारी नहीं देते थे। सूत्र बताते हैं हाल ही में मोहन कैबिनेट ने नगर पालिका अधिनियम में बड़ा बदलाव किया था। इस फैसले में सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी ने कुछ बदलाव किया। लेकिन इस बात की सतही जानकारी विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तक पहुंचाई जा रहा है। ऐसे में जब इस बात की जानकारी सामने आई तो फिर यह फैसला हुआ।

सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी ने कुछ बदलाव किया- बताया जा रहा है कि अधिकारी किसी भी प्रस्ताव को लेकर फिलहाल लापरवाही बरत रहे थे। वह मौखिक जानकारी विभाग के मंत्री को दे देते थे। लेकिन लिखित जानकारी नहीं देते थे।

आवारा कुत्ते ने बालक को काटा

आष्टा, (निप्र)। शनिवार को शहर के मानस भवन भाववावा मंदिर के पास एक आवारा कुत्ते ने वहां से निकल रहे बालक को हमला कर खम्भी कर दिया। स्थानीय लोगों ने उसको तुरंत सिविल अस्पताल लेकर आए जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। बता दे की मानस भवन भाववावा मंदिर के पास बालक वहां से निकल रहा था तभी एक कुत्ते ने उसे पर हमला कर काट लिया इससे बालक को खून निकलने लगा , स्थानीय लोग उसे सिविल अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गए बालक अंशक रैकवार का नवासा है जो मानस भवन के पीछे रहते है। बच्चा खेल रहा था उसी समय उस पर हमला हुआ हमले को देखते हुए उसे बचाने के लिए वहां पर कुछ युवा के खड़े हुए थे, जिन्होंने बचाने का प्रयास किया लेकिन जवाब में कुत्ते ने हमला बोल दिया किसी तरह बच्चे को छुड़ाकर अलग किया उसके बाद कुत्ते का पीछा किया गल चौराहे पर उसे मार गिराया ताकि अन्य किसी को अगले शिकार न कर सके कुत्ता पागल होना बताया जा रहा है।

दिनों दिन आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही- शहर में बीते कुछ माह से आवारा कुत्तों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, नगर पालिका ने भी आवारा कुत्तों को पकड़ने का आभियान चलाया था, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इन आवारा कुत्तों को संरक्षण दिया। मासूम बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से कुत्ते ने काटा नगर पालिका इस प्रकार के आवारा पागल कुत्तों को शहर के बाहर कर जंगल मे छोड़वाए नही तो यहाँ आवारा पागल कुत्ते दूसरे बच्चे को अपना निशाना बना सकते गम्भीर विषय है प्रशासन गंभीरता से ले इस मामले को।

इन क्षेत्रों में सर्वाधिक आवारा कुत्ते- शहर के पुरानी सब्जी मंडी पुराना बस स्टैंड, अलीपुर भोपाल नाका ,कनौद मार्ग, बुधवार, सेमनरी रोड, भाववावा मंदिर रोड, राधा कृष्ण मंदिर के पास, अदालत रोड आदि क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। खासकर रात के समय जब कोई बाहर से आता है तो यह आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर देते हैं नगर पालिका भी दिखाने की खानापूर्ति के लिए कभी कभार कार्रवाई करती है पिछले दिनों ही सीएमओ राजेश सक्सेना ने पिंजरा मंगवा कर दे-तान कुत्तों को बाहर छोड़वाया था, लेकिन वह मात्र फोटो छानने तक अभियान रहा जबकि शहर में लोगों को लगातार आवारा कुत्ते काट रहे हैं। नागरिक उमेश ताम्रकार, गोपाल सिंह ने बताया कि शहर में आवारा कुत्तों कारण रात में और सुबह के समय निकलना खतरों से कम नहीं है इसलिए नगरपालिका को आवारा कुत्तों को शहर से बाहर करना चाहिए। इस संबंध में सीएमओ राजेश सक्सेना से जब फोन पर जानकारी चाही तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड
सीआईएन: LS1909MP2007PLC066484.
रजि. कार्यालय: चौबी मंजिल, अनो बिजनेस पार्क, इंदौर बायपास रोड, सहारा सिटी के सामने, बिजौली मर्दाना, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452016
फ़ोन: 91-731-4223000, फ़ैक्स: 4221222/444, ईमेल: info@brandconcepts.in

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष, इंदौर में बेंच सीए/एम्पी/4(एमपी)2024

आइएफएसए ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरक कंपनी") के ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड ("हस्तांतरित कंपनी") और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के साथ विवाद की योजना के मामले में।

ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड CIN- LS1909MP2007PLC066484, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निर्मित एक कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय 4वीं मंजिल, अनो बिजनेस पार्क, इंदौर बायपास रोड, सहारा सिटी के सामने, बिजौली मर्दाना, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452016 में है

आवेक कंपनी/हस्तांतरित कंपनी

इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों की बैठकों की सूचना और विज्ञापन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 21 अगस्त 2024 के अंतिम आदेश द्वारा, 23 अगस्त 2024 को संशोधित, माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इंदौर बेंच ("एसपीएलटी") ने हस्तांतरित कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों को अलग-अलग बैठकों बुलाने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य विचार करना और बंधन वित्त मसला आदि, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 और उसके अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार आइएफएसए ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ("हस्तांतरित कंपनी") के साथ ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड ("हस्तांतरित कंपनी") और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों ("योगजनों") के सम्मेलन की योजना को मंजूरी देना है।

उपरोक्त आदेश के अनुसार में और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों और उसके तहत जारी परिचयों, समय-समय पर संशोधित और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी एनओडीआर) के अनुपालन में, इसके द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों को अलग-अलग बैठकों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (वीसी / ओएवीएम) के माध्यम से नीचे उल्लिखित विवरणों के अनुसार आयोजित की जाएंगी, जिस दिन और समय पर कंपनी के उक्त इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों से उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है:

क्र. सं.	बैठकों का वर्ग	बैठक की तिथि	समय (आइएसटी)
1.	इक्विटी शेयरधारक	4 अक्टूबर, 2024	सुबह 11 बजे
2.	असुरक्षित ऋणदाता	4 अक्टूबर, 2024	दोपहर 03.30 बजे

कंपनी ने सीडीएसएल द्वारा दी जाने वाली सूचना का उपयोग करते हुए उपरोक्त बैठकों के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") और ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान की है, ताकि इक्विटी शेयरधारक और असुरक्षित लेनदार अपनी-अपनी बैठकों में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्ताव पर अपना वोट डाल सकें। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठकों में शामिल होने, बैठकों से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने या बैठकों के दौरान ई-वोटिंग के तर्किके बारे में विस्तृत निर्देश बैठकों की संबंधित सूचनाओं के नोट में दिए गए हैं।

उक्त बैठकों की सूचना, स्पष्टीकरण/आवेक कथन और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों सहित नीचे उल्लिखित तिथि पर भेजी जाई है:

- क. इक्विटी शेयरधारकों को 31 अगस्त 2024 को, बिनके नाम 23 अगस्त, 2024 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं
- (i) इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से बिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं; और
- (ii) पंजीकृत डाक या कूरियर के माध्यम से बिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।

- ख. 31 अगस्त 2024 को असुरक्षित लेनदारों को, बिनका नाम 31 मार्च 2024 तक कंपनी के रिफॉर्म में दर्ज हैं,
- (i) इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से उन लोगों को बिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं; और
- (ii) पंजीकृत डाक या कूरियर के माध्यम से, भौतिक रूप से, बिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।

बैठकों की सूचनाएं, अधिनियम की धारा 102 और अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (समझौता, व्यवस्था और सम्मेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ धारा 230 और 232 के तहत व्याख्यात्मक विवरण के साथ योजना की श्रेति भी कंपनी की वेबसाइट www.brandconcepts.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और सेबी एक्सचेंजों की वेबसाइट, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से क्रमशः www.evotingindia.com और www.nseindia.com पर पाए जा सकते हैं। ये दस्तावेज सभी कार्य दिवसों में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच या उपरोक्त आवेक ट्रांसपैरेंसी कंपनी की swati.gupta@brandconcepts.in पर बैठकों की तिथि तक ईमेल करके या अतिरिक्त पीसीएस सुत्री मुद्रा के कार्यालय से 122, एकेबुरो एक्सप्रेसवे, कल्याण मार्बल के पीछे, बसव कप स्वकार के पास इंदौर एम्पी 452016 से विशुलक प्राप्त किए जा सकते हैं। उपरोक्त बैठकों की रिमोट ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तारीख और समय निम्नानुसार है:

विषय	इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	असुरक्षित ऋणदाताओं की बैठक
कट-ऑफ दिनांक	27 सितंबर, 2024	31 मार्च, 2024
रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ दिनांक और समय	30 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे)	30 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे)
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति दिनांक और समय	03 अक्टूबर, 2024 (राम 5:00 बजे)	03 अक्टूबर, 2024 (राम 5:00 बजे)

- रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने का तरीका:**
- इक्विटी शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने का तरीका, जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और असुरक्षित लेनदार बिनके ई-मेल आईडी कंपनी के रिफॉर्म में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बैठक की सूचना में प्रदान किया गया है।
 - ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा बैठक में भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले इक्विटी शेयरधारक और असुरक्षित लेनदार जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक में वोट कर सकेंगे। ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग करने का तरीका बैठक की सूचना में प्रदान किया गया है। इक्विटी शेयरधारक बिनके ई-मेल पते कंपनी / डिजिटल प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए अपना ई-मेल पता / मोबाइल नंबर पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन करें जिस कि बैठक की सूचना में निर्धारित किया गया है।
 - इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं से अनुरोध है कि वे बैठक की सूचना में दिए गए सभी नोटों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेष रूप से वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले इक्विटी शेयरधारकों के लिए निर्देशों को पढ़ें।
 - एक इक्विटी शेयरधारक, जिसका नाम उपरोक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिजिटल डिवाइस द्वारा बनाए गए सदस्यों/लाभार्थी मालिकों की सूची के रजिस्टर में दर्ज है, केवल ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और इक्विटी शेयरधारकों की बैठक में भाग लेने का हकदार होगा। इक्विटी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता शेष पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुरूप होंगे।
 - असुरक्षित ऋणदाता, बिनके नाम उपरोक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के रिफॉर्म में दर्ज हैं, केवल ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और असुरक्षित ऋणदाताओं की बैठक में भाग लेने के हकदार होंगे। असुरक्षित ऋणदाताओं के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की पुस्तकों में दर्ज ऋणों के मूल्य के अनुरूप होंगे।
 - यदि कोई व्यक्ति नोटिस भेजे जाने के बाद लेकिन कट-ऑफ तारीख यानी 23 अगस्त 2024 को या उससे पहले कंपनी का शेयरधारक बन गया है, या नोटिस भेजे जाने के बाद ई-मेल पता पंजीकृत कर लिया है, तो ऐसा सदस्य रिमोट ई-वोटिंग, ई-वोटिंग और वर्युअल मीटिंग में शामिल होने के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करेगा।
 - चूंकि बैठकों वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएंगी, इसलिए बैठकों के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, संस्थापक/कीर्ति शेयरधारक और लेनदार आदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने और बैठकों में भाग लेने के उद्देश्य से अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं।
 - माननीय न्यायाधिकरण ने श्री जय कोचेता, वरिष्ठ कर सलाहकार या उनकी अनुपस्थिति में श्री आदित्य कुमार गुप्ता (एम.नं. 422218), अध्यासत चार्टर्ड एकाउंटेंट को किसी भी स्थान सहित दोनों बैठकों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।
 - इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने श्री पल्लवा जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीपी नंबर 18542) को बैठकों के लिए संबोधक नियुक्त किया है, जिसमें किसी भी स्थान के लिए भी संबोधक नियुक्त किया जाएगा।
 - बैठकों के परिणाम, संबोधक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बैठकों के सम्पन्न के 2 कार्य दिवसों के भीतर बैठकों के अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जाएंगे और इसे कंपनी की वेबसाइट www.brandconcepts.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रदर्शित किया जाएगा, इसके अलावा इसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा।
 - इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतों की राफेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिजिटल सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए-विंग, 25वीं मंजिल, मेरथन प्लूचरसस, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेस (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdsindia.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं।

एसडी/-
जय कोचेता, वरिष्ठ कर सलाहकार
इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों की बैठकों के लिए नियुक्त अध्यक्ष

कार्यालय नगर पालिका परिषद, जावरा जिला रतलाम म.प्र.

क्रमांक 2780/ प्रजाकार्य / ई-टेण्डर / 2024 जावरा दिनांक :- 30/08/2024

निविदा सूचना
निम्नलिखित कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2024_UAD_366986_1 31.08.2024	वार्ड क्र. 08 तालनाका दुकाओं के पीछे आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य ।	3 माह एवं 7,15,389.75	2000/- एवं 7153/-	14.09.2024
2	2024_UAD_366987_1 31.08.2024	वार्ड क्र. 15 रिद्धी-सिद्धी कॉलोनी बगीचे के पास ब्लॉक कार्य	2 माह एवं 3,16,470.86	2000/- एवं 3164/-	14.09.2024
3	2024_UAD_366989_1 31.08.2024	वार्ड क्र. 09 गीता भवन के सामने आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य	2 माह एवं 3,61,741,-	2000/- एवं 3641/-	14.09.2024
4	2024_UAD_366990_1 31.08.2024	वार्ड क्र. 03 फकीर मोहल्ला मरिजद के पास नाना साहब के बाग में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य ।	3 माह एवं 6,60,915,-	2000/- एवं 6609/-	14.09.2024
5	2024_UAD_366991_1 31.08.2024	वार्ड क्र. 03 बरफ खाना में आर. सी. सी. नाली निर्माण	3 माह एवं 6,84,326.25/-	2000/- एवं 6843/-	14.09.2024
6	2024_UAD_366992_1 31.08.2024	वार्ड क्र. 05 तालनाका पेट्रोल पम्प के पास सी.सी. रोड निर्माण कार्य ।	2 माह एवं 4,66,272/-	2000/- एवं 4662/-	14.09.2024
7	2024_UAD_366993_1 31.08.2024	वार्ड क्र. 05 मेहन्द्र नगर में चतुबरे के पास यू.शूशेप आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य ।	3 माह एवं 9,68,013/-	2000/- एवं 9680/-	14.09.2024
8	2024_UAD_366994_1 31.08.2024	वार्ड क्र. 05/07 में चाँद खॉन के अखाड़े से अजीज भाई के दुकान व जम्पू वाई कुरेशी के मकान तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य ।	4 माह एवं 11,95,853/-	2000/- एवं 9566/-	30.09.2024
9	2024_UAD_366995_1 31.08.2024	वार्ड क्र. 03 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र से इंदगाह नाले तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य ।	3 माह एवं 6,24,793.77/-	2000/- एवं 6247/-	14.09.2024
10	2024_UAD_366997_1 31.08.2024	वार्ड क्र. 07 धौबी गली चौक पर आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य ।	4 माह एवं 11,24,498.78	2000/- एवं 8995/-	30.09.2024

नोट :-
निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑन लाईन <https://www.mptenders.gov.in> की वेबसाइट पर ही किया जावेगा,पुश्क से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: L17124MP1991PLC006324
पंजीकृत कार्यालय: टेक्सटाइल मिल एरिया, स्टेशन रोड, मंदसौर (म.प्र.)-458001 फोन : 07422-234999
ईमेल: csmidindia@gmail.com, वेबसाइट: www.midindiaindustries.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित होने वाली 33वीं वार्षिक आम सभा, पुस्तक बंद तथा ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

यह हमारे द्वारा पूर्व में दिनांक 29 अगस्त, 2024 के संघार में, जिसके अंतर्गत मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए लागू परिपत्र के अनुसार सदस्यों को 33वीं वार्षिक आम सभा ("एजीएम") बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को दोपहर 2:00 बजे (आई.एस.टी.), आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मींस ("ओएवीएम") सुविधा द्वारा 33वीं एजीएम सूचना में दिए गए व्यवसायों को लेन-देन करने का निश्चय किया है। एमसीए और सेबी परिपत्रों ने शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियों को छपाई और प्रेषण के संबंध में कंपनियों को सूचित किया है। कोई भी सदस्य कंपनी को csmidindia@gmail.com पर अनुरोध भेजकर रिपोर्ट की भौतिक प्रति के लिए अनुरोध कर सकता है।

एमसीए तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते, कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या संबंधित डिजिटल प्रतिभागियों ("डीपी") के पास पंजीकृत हैं, उन्हें ई-वोटिंग के साथ वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा 33वीं एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया के विवरण के साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त किए गए वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा 33वीं एजीएम की सूचना 30 अगस्त, 2024 को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है। यह सभी जानकारीयों कंपनी की वेबसाइट (www.midindiaindustries.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा सेंट्रल डिजिटल सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों तथा सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार एतद द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 से बुधवार, 25 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिवस शामिल), 33वीं एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

कंपनी के सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके तहत लागू कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमवली, 2014 के तथा संशोधित नियम 20 तथा सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कंपनी ने 33वीं एजीएम सूचना में दिए संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के लिए सेंट्रल डिजिटल सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और उसके तहत निर्धारित प्रारंभिक नियमों के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं-

- एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादित किया जाएगा;
- दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ करने की तारीख और समय: रविवार, 22 सितंबर, 2024 प्रातः 9 बजे से;
- दूरस्थ ई-मतदान समाप्त करने की तारीख और समय: मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 सायं 5 बजे तक;
- निर्णायक तिथि: बुधवार, 18 सितंबर, 2024;
- यदि कोई सदस्य एजीएम सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी की सदस्यता अर्जित करते हैं तथा निर्णायक तिथि को शेरार धारित करते हैं; उस परिस्थिति में वह 33वीं एजीएम की सूचना में उल्लि